

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-17/01/2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत (कंकड़बाग अंचल क्षेत्र) पूर्व से अधिष्ठापित ड्रेनेज पम्पिंग प्लांटों के असैनिक संरचनाओं के मरम्मत हेतु कुल ₹147.18209 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख अठारह हजार दो सौ नौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

आगामी मॉनसून, 2020 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक-6145, दिनांक- 29.11.2019 द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पूर्व से अधिष्ठापित ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन के असैनिक संरचनाओं यथा- भवनों की मरम्मत, पम्प हाउस के साथ विश्राम गृह एवं शौचालय निर्माण आदि कार्यों हेतु कुल ₹147.18209 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख अठारह हजार दो सौ नौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक- 133, दिनांक- 03.12.2019 द्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 के अनुरूप कुल ₹147.18209 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख अठारह हजार दो सौ नौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. उक्त स्वीकृति एवं आगामी मॉनसून को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशनों में असैनिक संरचनाओं यथा- भवनों की मरम्मत, पम्प हाउस के साथ विश्राम गृह एवं शौचालय निर्माण आदि कार्यों हेतु तालिका के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत राशि के अनुरूप कुल ₹147.18209 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख अठारह हजार दो सौ नौ रु०) मात्र के व्यय की स्वीकृति नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से स्तम्भ- 4 के अनुरूप निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन का नाम	पूर्व में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत कुल राशि
1	2	3	4
1	बहादुरपुर टी०भी० टावर	33.54000	33.54000
2	अशोक नगर जीरो प्वाइन्ट	21.03209	21.03209
3	बहादुरपुर हाउसिंग बोर्ड	31.82000	31.82000

(राशि लाख में)

4	योगीपुर	31.59000	31.59000
5	एन०बी०सी०सी० योगीपुर	14.60000	14.60000
6	ट्रान्सपोर्ट नगर डी०पी०एस०	14.60000	14.60000
योग		147.18209	147.18209

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹147.18209 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख अठारह हजार दो सौ नौ रु०) मात्र।

3. उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको द्वारा विभागीय पत्रांक- 133, दिनांक- 03.12.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में कराया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹147.18209 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख अठारह हजार दो सौ नौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 733, दिनांक- 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। *प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।* तदोपरांत नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी बुडको को किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल राशि ₹147.18209 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख अठारह हजार दो सौ नौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021910102, विषय शीर्ष- 0102. 31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।


8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-06/2019 के पृष्ठ सं०-.....०५...../टि० पर दिनांक-.....16/01/2020..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....०५...../टि० पर दिनांक-.....16/01/2020..... को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

 17.01.2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-06/2019 193 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-17/01/2020

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/मुख्य अभियंता, बुडको/कार्यपालक अभियंता, बुडको, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 17.01.2020

सरकार के विशेष सचिव।

